भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1739

उत्तर देने की तारीख- 15/03/2023

जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

1739 श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर राज्यों में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के उद्देश्य से चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों को किए गए वित्तीय आबंटनों का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान राज्यों ने केंद्रीय आबंटनों का किस प्रकार उपयोग किया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक - I** में दिया गया है।

आगे, सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति (कार्यनीति) कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन कौशल विकास, आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए आवंटित कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत स्थान/जिले में स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के मानदंडों के अनुसार निधियों को आगे जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोगिता प्रमाणपत्रों पर जोर दिया जाता है। योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने, योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय की कुछ प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियों का विवरण **अनुलग्नक - II** में दिया गया है।

अनुलग्नक- I

"जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का उत्थान" के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 15.03.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- I

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

(i) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) : जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य के बीच के अंतर को पाटने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, आश्रम स्कूल, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, लघु अवसंरचना आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के रूप में नया रूप दिया गया है।

मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए मिशन अंत्योदय डेटा का विश्लेषण किया है और पीएमएएजीवाई के तहत कवर किए जाने वाले 50% अ.ज.जा. आबादी वाले और 500 अ.ज.जा. वाले 36,428 गांवों की पहचान की है। जनजातीय उप योजना आवंटन के आधार पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रासंगिक योजनाओं की पहचान की गई है। राज्यों को राज्य टीएसपी निधियों, जिला खनिज निधियों (डीएमएफ) और वित्त आयोग के अनुदानों से पूरक करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएमएएजीवाई के तहत, प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतर भरने(गैप फिलिंग)' के रूप में प्रति गांव 20.38 लाख रूपये मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले, 26 राज्यों को निर्मुक्त किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। ये निधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, आदि के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक कार्यकलापों में अंतरों को पाटने के लिए अ.ज.जा. (एसटी) जनसंख्या की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती है।

(iii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास: पीवीटीजी के विकास की योजना में शिक्षा, आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, सम्पर्क सड़कों के निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य नवीन गतिविधि जैसे कार्यकलापों गतिविधियों के लिए 18 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 चिन्हित पीवीटीजी गतिविधियों के विकास की योजना शामिल है।

(iv) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत, मंत्रालय आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल (मोबाइल) औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए प्रति माह रु. 225/- और छात्रावासी के लिए प्रति माह रु. 525/- एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर जिसके लिए निधि पोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न (तरीका) 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vi) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शैक्षिक संस्थानों द्वारा वसूल की गई अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह रु. 230 से रु. 1200 तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जहां केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(vii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल कुल 20 छात्रवृत्तियां (अवार्ड) प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियां (अवॉर्ड) अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियां (अवार्ड) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता / परिवार की आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – (टॉप क्लास) स्कीम (स्नातक स्तर): इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित 246 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में स्नातक (डिग्री) और स्नातकोत्तर (पोस्ट डिग्री) स्तर पर पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है, जिनकी पैतृक आय प्रतिवर्ष रु. 6 लाख से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन फीस, निर्वाह खर्च और पुस्तकों और कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: एम.फिल और पीएच.डी. के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष अनु.जनजाति के छात्रों को 750 अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

(ix) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) वर्ष 1997-98 में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठा सकें और सरकारी एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकें। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 एसटी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए पात्र होगा। कुल 740 ईएमआरएस स्थापित किए जाने हैं। एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालयों के समान होंगे और इनमें खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

(x) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) : जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2011 से जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपजों के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास (एमएफपी के लिए एमएसपी) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य एसटी एमएफपी संग्राहकों को सुरक्षा जाल प्रदान करना है।

मंत्रालय जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए ट्राइफेड और राज्य वन विकास निगमों (एसडीसी) को 100% अनुदान के साथ जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता नामक एक और योजना कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमजेवीएम की संकल्पना उपरोक्त दो योजनाओं अर्थात् 'एमएफपी के लिए एमएसपी' और 'जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' के विलय के साथ की गई है। पीएमजेवीएम अगले पांच वर्षों में गुणवत्ता इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण और बेहतर विपणन पहुंच आदि के माध्यम से आजीविका संचालित जनजातीय विकास प्राप्त करना चाहता है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता : मंत्रालय, जहाँ टीआरआई नहीं हैं वहां टीआरआई स्थापित करने और अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत के संवर्धन आदि के प्रति अपने मुख्य उत्तरदायित्व को निभाने के लिए विद्यमान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, अनुसंधान और प्रलेखन, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातीय लोगों द्वारा राज्य के अन्य भागों में एक्सचेंज विजिट (आदान-प्रदान यात्राओं) जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम, से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को आवश्यकता के आधार पर शीर्ष (एपेक्स)

समिति के अनुमोदन से 100% वित्त पोषण अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। टीआरआई, बजटीय आवश्यकता के साथ समस्त वर्ष के लिए प्रस्ताव और विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हैं और इसे राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। टीआरआई व्यवस्था (सेट) के भीतर, सांस्कृतिक संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान विंग आदि हैं।

(xii) जनजातीय त्योहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा: इस योजना के माध्यम से जनजातीय त्योहार, अनुसंधान सूचना एवं जनशिक्षा समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता के सृजन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और चित्र प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्म बनाना, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालते हुए तत्संबंधी प्रकाशनों को प्रकाशित करना, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, नियमित अंतरालों पर अन्य विज्ञापनों आदि के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य विभागों की उपलब्धियां शामिल हैं। जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतरों को पाटने के दृष्टिकोण से, जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रसिद्ध एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को जहां विशेषज्ञ मौजूद हैं और जिन्होंने पहले से ही जनजातीय संस्कृतियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में अग्रणी शोध को आगे बढ़ाते हुए एक पहचान बनाई है, मान्यता देता है। यह परिकल्पना की गई है कि सीओई को मंत्रालय की समर्पित गतिविधियों के पूरक के रुप में एक ज्ञान-बैंक (नॉलेज बैंक) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

अनुलग्नक- II

"जनजातीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का उत्थान" के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 15.03.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- II

2017-18 से 2020-21 के दौरान 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता' (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत जारी की गई निधियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	3624.77	5617.39	12470.50	4954.96
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2211.83	9224.29	7015.50
3	असम	0.00	0.00	2710.08	4578.76
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	994.00
5	छत्तीसगढ़	14327.57	10342.65	9415.53	8769.06
6	गोवा	559.09	352.31	0.00	724.26
7	गुजरात	10270.41	11765.38	8975.55	10786.40
8	हिमाचल प्रदेश	2291.20	3628.00	2394.18	1367.00
9	जम्मू और कश्मीर	3626.50	3749.80	4509.00	0.00
10	झारखंड	11372.49	8564.52	6201.49	7049.64
11	कर्नाटक	5955.37	5347.76	7434.00	0.00
12	केरल	808.43	335.00	0.00	459.15
13	मध्य प्रदेश	22828.70	16968.97	13415.25	0.00
14	महाराष्ट्र	13760.38	13802.57	11929.09	0.00
15	मणिपुर	3790.38	5442.48	1434.02	0.00
16	मेघालय	0.00	2739.20	3788.00	328.25
17	मिजोरम	0.00	1220.00	3140.00	1236.22
18	नागालैंड	0.00	3225.00	2951.12	2846.14
19	ओडिशा	11975.00	17553.22	8691.18	9010.42
20	राजस्थान	10051.83	10327.93	11461.41	8662.66
21	सिक्किम	5986.00	0.00	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	894.10	315.00	450.56	377.47
23	तेलंगाना	4493.55	2850.32	5361.29	4191.00
24	त्रिपुरा	1649.77	1294.38	1362.97	1173.30
25	उत्तराखंड	679.00	1012.88	600.00	757.80
26	उत्तर प्रदेश	458.35	0.00	779.91	508.83
27	पश्चिम बंगाल	5397.11	5833.41	5862.58	3746.00

पिछले वर्ष के दौरान 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' योजना के तहत जारी की गई निधियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2021-22
1	अरुणाचल प्रदेश	733.68
2	असम	8743.02
3	बिहार	774.44
4	छत्तीसगढ़	15595.8
5	गुजरात	15916.78
6	हिमाचल प्रदेश	377.03
7	झारखंड	6531.79
8	कर्नाटक	2139.9
9	मध्य प्रदेश	12268.76
10	मणिपुर	427.98
11	मिजोरम	580.83
12	नागालैंड	886.53
13	ओडिशा	2771.68
14	राजस्थान	7224.71
15	तमिलनाडु	285.32
16	तेलंगाना	2262.18
17	त्रिपुरा	631.78

* जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) को 2021-22 में पीएमएएजीवाई के रूप में नया रूप दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान' के तहत जारी की गई निधियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	4591.11	6390.77	8942.43	2055.55	2638.65
2	अरुणाचल प्रदेश	8378.82	12170.52	13202.25	6014	9830
3	असम	0.00	3916.32	10802.85	4592.37	2570
4	बिहार	991.89	0.00	0	0	642.08
5	छत्तीसगढ़	10964.49	11352.92	22500.77	9976.24	11604.02
6	गोवा	103.00	345.66	0	0	600.41
7	गुजरात	11384.08	11648.20	16833.88	5940.04	6923.79
8	हिमाचल प्रदेश	2074.70	3378.16	5314.7	1161	1500
9	जम्मू और कश्मीर	3049.06	2051.79	5410	0	0

10	झारखंड	12386.93	7354.30	11166.77	10278	12264.19
11	कर्नाटक	5881.74	5220.61	10435.46	3305.68	3210
12	केरल	803.17	472.28	633.29	0	0
13	मध्य प्रदेश	22399.48	24635.30	44938.92	4279.78	5319.1
14	महाराष्ट्र	13862.24	17015.91	23136.7	4573.16	0
15	मणिपुर	2308.80	5367.645	6151.91	0	0
16	मेघालय	3603.40	5129.79	4799.53	492.71	1595.25
17	मिजोरम	2504.41	3507.71	6598.83	1909.71	2971.54
18	नागालैंड	4434.11	9194.485	6802.11	1717.38	3202.39
19	ओडिशा	15995.30	21449.15	15110.66	6304.62	11382.05
20	राजस्थान	10240.58	13769.23	15586.19	9166	10435.21
21	सिक्किम	405.30	355.34	3175.35	516	2045
22	तमिलनाडु	378.00	773.57	6356.07	0	0
23	तेलंगाना	5015.32	3248.89	9973.28	2517	2050
24	त्रिपुरा	2040.89	2006.73	2952.63	201.74	607.53
25	उत्तर प्रदेश	189.00	252.43	2760.71	927.426	832.71
26	उत्तराखंड	1577.56	1255.265	428.37	0	100.65
27	पश्चिम बंगाल	5376.51	9235.725	12127.17	4041.14	0

पिछले पांच वर्षों के दौरान 'पीवीटीजी के विकास' की योजना के तहत जारी की गई निधियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	2076.00	1837.00	3713.43	1245.51	1829.6
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	200.00	0.00	0	0	252.11
3	बिहार	295.91	0.00	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	1089.50	1051.50	1311.35	989.32	996.9
5	गुजरात	390.67	604.00	429.05	552.2	761.8
6	झारखंड	2047.03	3295.79	847	1777.29	1696.93
7	कर्नाटक	467.00	460.00	1933.01	438.46	661.17
8	केरल	62.00	0.00	0	88	0
9	मध्य प्रदेश	8232.46	7998.09	12064.9	2188.11	2888.69
10	महाराष्ट्र	1226.25	1230.26	2510	1411.66	0
11	मणिपुर	195.00	1157.55	0	0	0
12	ओडिशा	1297.00	3626.00	976.38	1202	1197
13	राजस्थान	1038.00	1008.00	968.1	968	706.17
14	तमिलनाडु	1770.75	0.00	819.48	551.08	1967.81

15	तेलंगाना	778.00	533.00	538.5	1460.5	1193.04
16	त्रिपुरा	2305.00	789.53	1960.82	231.43	1481.71
17	उत्तर प्रदेश	17.96	0.00	0	82.04	0
18	उत्तराखंड	130.00	565.86	489.53	295	367.07
19	पश्चिम बंगाल	330.75	843.42	437.47	519.4	0

पिछले पांच वर्षों के दौरान 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत राज्य-वार एनजीओ/वीओ को जारी की गई निधियां

(राशि रूपये में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	129396675	12876354	10157218	5026080	16228664
अरुणाचल प्रदेश	64288501	48711344	35595687	27184297	23778993
असम	17077370	18876952	6213405	4061646	18512478
छत्तीसगढ़	11248059	17482240	15948615	4900346	13036874
दिल्ली	1714742	540869	0	1316151	1428775
गुजरात	158562559	24011522	17888100	12098347	10403047
हिमाचल प्रदेश	25109636	28015712	17953743	22425259	13154561
जम्मू और कश्मीर	1968601	1968822	1587901	4639377	2672910
झारखंड	96628728	146529510	107514637	50136982	69711917
कर्नाटक	24493869	46771879	25497469	11651044	22293781
केरल	6655688	7730092	0	12082483	14281473
लद्दाख	0	0	0	0	4308595
मध्य प्रदेश	44441888	94196926	49199977	22388570	110269307
महाराष्ट्र	52734568	56691939	62859152	40257292	67398480
मणिपुर	26428954	20618831	33097504	28092348	60202985
मेघालय	69770760	82478380	145347653	84500593	77602299
मिजोरम	5589524	9373256	4711528	6963997	11151249
नागालैंड	3079598	1803888	0	0	0
ओडिशा	227115120	323641558	293997570	153681894	242481660
राजस्थान	3963317	29419245	17184495	18979922	10165582
सिक्किम	9081202	8501627	3046526	946123	2718360
तमिलनाडु	28049531	32912993	28908752	11703033	27473845
तेलंगाना	39867085	5363885	1096770	5481754	5664219
त्रिपुरा	3261804	5771765	4656113	3354479	156271
उत्तर प्रदेश	6743175	0	0	11222937	3220666
उत्तराखंड	3742689	13381104	1558170	4854462	6422488
पश्चिम बंगाल	93743775	80566551	64483189	47050584	57760521

पिछले पांच वर्षों के दौरान 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' योजना के तहत जारी की गई निधियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	5.00	5.62	12.33	8.03
2	आंध्र प्रदेश	5282.94	1210.81	736.32	1433.81	3935.06
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	207.3
4	असम	0.00	0.00	0	17.27	102.19
5	बिहार	0.00	0.00	7131.47	0	0
6	छत्तीसगढ़	1805.30	4755.63	4796.94	3541.54	0
7	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	-	-	234	206.62
8	दादर और नगर हवेली	0	20.00	38.49	-	-
9	दमन और दीव	8.04	0	5.89	-	-
10	गोवा	3.75	80.83	80.56	41.35	0
11	गुजरात	3650.84	4482.31	5248.34	2198.84	3689.18
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	38.91	83.92	91.87	0
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0	0	0
14	झारखंड	1704.53	2345.92	1514.49	0	3899.03
15	कर्नाटक	1364.59	1256.31	1846.92	0	1753.16
16	केरल	0.00	308.73	287.31	116.56	347.07
17	लद्दाख	0.00	0.00	0	42.27	74.22
18	मध्य प्रदेश	5539.17	5884.33	7698.9	5429.34	11458.18
19	मणिपुर	619.09	773.00	443.33	0	0
20	मेघालय	156.69	0.00	0	0	0
21	मिजोरम	132.25	319.79	702.21	167.86	657.47
22	नागालैंड	0.00	0.00	0	60.75	0
23	ओडिशा	5134.98	6665.88	6157.65	6944.96	5236.75
24	पुदुचेरी	0.00	0.00	0	1.63	0
25	राजस्थान	3284.79	1716.12	5346.97	3126.9	6234.34
26	सिक्किम	25.72	7.97	3.57	9.41	0
27	तमिलनाडु	0.00	0.00	589.74	241	546.55
28	तेलंगाना	358.02	693.84	0	0	0
29	त्रिपुरा	232.89	0.00	386.18	252.09	58.55
30	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0	0	88.17
31	उत्तराखंड	104.44	0.00	0	138.24	0
32	पश्चिम बंगाल	0.00	584.62	894.18	788.22	912.51

पिछले पांच वर्षों के दौरान 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	10.09	11.34	13.29	10.35
2	आंध्र प्रदेश	8269.11	13945.02	7797.07	6039.35	8991.45
3	अरुणाचल प्रदेश	5803.65	1883.82	6113.41	5712.96	12360.5
4	असम	2516.48	3248.03	4867.2	5413.54	1093.4
5	बिहार	71.25	0.00	1525.43	708.22	0
6	छत्तीसगढ़	3811.26	4609.57	7022.69	8790.24	0
7	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	-	_-	3481.73	0
8	दादरा नगर हवेली	0	0	88.66	-	-
9	दमन और दीव	26.19	3.41	0	-	-
10	गोवा	364.80	536.26	732.79	458.18	0
11	गुजरात	14609.74	32429.12	14004.48	22977.64	46170.25
12	हिमाचल प्रदेश	3123.36	278.15	2468.81	0	0
13	जम्मू और कश्मीर	2322.56	637.93	1048.29	805.44	0
14	झारखंड	2716.50	5281.32	7862.86	0	12654.88
15	कर्नाटक	8873.31	7341.33	15003.43	0	17080.51
16	केरल	2745.46	2674.37	1641.52	3285.25	2516.49
17	लद्दाख	0.00	0.00	0	738	2214
18	मध्य प्रदेश	10320.50	13405.24	12198.58	12344	24529.43
19	महाराष्ट्र	10884.91	15238.15	15575.38	18149.52	19214.82
20	मणिपुर	6382.55	2026.76	6235.55	2184.19	4292.15
21	मेघालय	770.50	2457.52	0	0	2636.09
22	मिजोरम	2434.73	3528.21	4415.78	3446.82	3874.64
23	नागालैंड	2515.00	4716.66	3268.73	3226.37	4435.75
24	ओडिशा	8784.18	14801.92	16640.15	19095.97	21842.98
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	0	19.56	0
26	राजस्थान	19912.49	13598.95	25950.52	25557.03	13744.7
27	सिक्किम	1247.32	1134.36	566.8	553.83	1036.28
28	तमिलनाडु	2440.39	3933.65	5025.19	3328.99	4849.38
29	तेलंगाना	18031.25	9921.68	19610.6	27297.83	7503.9
30	त्रिपुरा	2756.25	3626.55	2355.78	4804.98	7188.77
31	उत्तर प्रदेश	1244.91	1210.54	1822.71	2218.67	0
32	उत्तराखंड	600.25	0.00	0	0	3568.37
33	पश्चिम बंगाल	2807.89	2219.39	2411	2256.42	3872.05

*****